एम.ए.सी.पी. संख्या ३२५/२०१७,
श्रीमती पार्वती पत्नी श्री फुन्दन लाल उम्र लगभग ६० वर्ष निवासी ग्राम व पोस्ट इस्किल थाना एरच जिला झाँसी

--------याचीगण

प्रति

१. जौनी पुत्र मलखान सिंह नि. नई पाली पहाड़ी डेली थाना रक्सा जिला झाँसी

.........मालिक वाहन नं. यू.पी. ९३ एल ५४६६

२. अरुण कुमार परिहार तनय श्री राम सिंह परिहार नि. ग्राम व पोस्ट डेली, रक्सा जिला झाँसी

..........चालक वाहन नं. यू.पी. ९३ एल ५४६६

३. प्रबन्धक यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जरिए मण्डलीय प्रबन्धक यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड नन्दनपुरा तिराहा सीपरी बाजार, झाँसी

..........बीमाकर्ता वाहन नं. यू.पी. ९३ एल ५४६६

---------विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री अविनाश शुक्ला
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री हरिश्चन्द्र यादव

१२.१२.२०२०

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुयी। यह दावा श्रीमती पार्वती को मोटर वाहन दुर्घटना मे आयी उपहति पर क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत हुआ है। उभय पक्ष की ओर से सुलहनामा १२८बी प्रस्तुत किया गया जो उभय पक्ष की उपस्थिति में तस्दीक किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को १२८बी सुलहनामा पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। याची व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के मध्य हुआ सुलहनामा १२८बी याचिया व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में तस्दीक किया गया है। १२८बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ ३,७०,००० याचिया को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा १२८बी की पुष्टि की गयी है तथा याचिया सुलहनामा १२८बी में दर्शित कुल ₹ ३,७०,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याचिया को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा १२८बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचिया की याचिका सुलहनामा १२८बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा १२८बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचिया को इस निर्णय/आदेश के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ ३,७०,००० (तीन लाख सत्तर हजार) भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के Syndicate Bank A/c 92352010008560 IFSC- SYNB0009235 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। उक्त प्रतिकर की धनराशि याचिया आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.12 16:54:54 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi